राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर

सी–7, सुल्तान हाउस, सवाई जयसिंह हाईवे बनीपार्क, जयपुर–302016
फोन नम्बर 0141–4004914 **Website:-** www.rajasthanparamedicalcouncil.org

क्रमांकः– प. 14 ( )/काउ.(सत्र 2021–22)/रा.पै.मेडि.कौं/2022/125 दिनांकः– 8/8/22

सार्वजनिक सूचना

इस कार्यालय की पूर्व सार्वजनिक सूचना क्रमांक 87 दिनांक 06.05.2022 द्वारा प्रवेश सत्र 2021–22 की काउन्सलिंग का कार्यक्रम जारी किया गया था, के क्रम में विभिन्न दो वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आगामी काउन्सलिंग करवाये जाने के संबंध में राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल की बैठक दिनांक 27.07.2022 में लिये गये निर्णयानुसार **तृतीय ऑनलाईन काउन्सलिंग 2021–22 का कार्यक्रम** निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:–

तृतीय ऑनलाईन काउन्सलिंग 2021–22 का कार्यक्रम

काउन्सलिंग हेतु आवेदन प्रस्तुत करना		
क्र.सं.	पंजीयन	तिथि/दिनांक
1	काउन्सलिंग हेतु विकल्प पत्र प्रस्तुत करने एवं अग्रिम प्रशिक्षण शुल्क राशि 10,000/– रूपये जमा कराने की तिथि	दिनांक 12.08.2022 से दिनांक 17.08.2022 तक
2	तृतीय काउन्सलिंग हेतु आवंटन पत्र जारी करने की तिथि	दिनांक 22.08.2022
3	महाविद्यालय/संस्थान में उपस्थिति (Reporting) प्रस्तुत करने की तिथि	दिनांक 22.08.2022 से दिनांक 29.08.2022 तक

नोट :– 1. तृतीय ऑनलाईन काउन्सलिंग में वे समस्त अभ्यर्थी जो प्रथम व द्वितीय काउन्सलिंग में एवं इनके अपवर्ड मूवमेन्ट में किसी कारण संस्थान में उपस्थिति (Joining) दर्ज नहीं की है, वे समस्त अभ्यर्थी तृतीय ऑनलाईन काउन्सलिंग में भाग लेने के लिए पात्र होगें।

2. जिन अभ्यर्थियो ने अग्रिम प्रशीक्षण शुल्क राशि 10,000/– जमा नहीं करवाई है, वे दिनांक 12.08.2022 से 17.08.2022 तक ऑनलाईन अग्रिम प्रशीक्षण शुल्क जमा करवाकर तृतीय ऑनलाईन काउन्सलिंग में भाग ले सकते है।
3. तृतीय ऑनलाईन काउन्सलिंग में अपवर्ड मूवमेन्ट नहीं किया जायेगा।
4. पूर्व में जारी विज्ञप्ति एवं विस्तृत दिशा–निर्देशों में उल्लेखित प्रावधान यथावत रहेगें।

(कैलाश नारायण मीना)
आर.ए.एस.
रजिस्ट्रार

क्रमांकः– प. 14 ( )/काउ.(सत्र 2021–22)/रा.पै.मेडि.कौं/2022/125 दिनांकः– 8/8/22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. श्रीमान् शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, जयपुर।
4. निदेशक (तकनीकी), राजकोम्प (R.I.S.L.) जयपुर को भेजकर लेख है कि ऑनलाईन काउन्सलिंग का कार्य उक्त संशोधित कार्यक्रम के अनुसार सम्पादित करवावें।
5. प्रधानाचार्य, संबंद्ध समस्त पैरामेडिकल राजकीय व निजी महाविद्यालय/संस्थान, राजस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
6. सर्वररूम प्रभारी, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल को भेजकर लेख है कि विभागीय वैबसाईट पर आज ही अपलोड करावें।
7. रक्षित पत्रावली।

रजिस्ट्रार